ग्राम पंचायत पधर, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2014 से 03/2017
भाग –1

1 (क) प्रस्तावना :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पधर, विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागडा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री राकेश चौधरी	1.04.2014 से 22.01.2016
2.	श्री मति मधुबाला	23.01.2016 से लगातार

सचिव :–

क्र0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री योगेश कुमाार	1.04.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत पधर विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	**पैरा सं0**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.98
2	8	अनुदान राशि का अवरोधन	26.89
3	10	औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.68

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत पधर, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एंव वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री मनमोहन शर्मा क0ले0प0, द्वारा दिनांक 19.2.18 से 22.2.18 तक ग्राम पंचायत **पधर** के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 1/15, 12/15 व 6/16 एवं व्यय के लिए माह 12/14, 9/15, 3/17 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत **पधर**, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• 29–32 दिनांक 27.2.2018 द्वारा सचिव, पंचायत **पधर** से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत **पधर**. विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2014 से 03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :

4.1 स्व स्त्रोत व अनुदान :– ग्राम पंचायत **पधर** के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक स्व स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है :

स्वः स्त्रोत **परिशिष्ट–1**

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	271847.00	71737.00	32603.00	376187.00	89689.00	286498.00
2015–16	286498.00	42678.00	37946.00	367122.00	65565.00	301557.00
2016–17	301557.00	28778.00	74568.00	404903.00	78125.00	**326778.00**

अनुदान

परिशिष्ट–1

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	489095.00	1580377.00	1973.00	2071445.00	1352805.00	718640.00
2015–16	718640.00	2628491.00	3.00	3347134.00	2149212.00	1197922.00
2016–17	1197922.00	3983383.00	–	5181305.00	2819293.00	2362012.00
			कुल योग (स्वः स्त्रोत+अनुदान)			**2688790.00**

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण :–

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के0सी0सी0 बैंक श्री चामुण्डा देवी	20012007980	2540547.00
2	एच0डी0एफ0सी0 नगरोटा बगवां	50100028213337	146506.00
3	हस्तगत राशि		**1737**.00
		कुल योग	2688790.00

5 रोकड़ बही का लेखाकंन नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत **पधर** की रोकड बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) के अनुसार रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा रोकड़ बही में न तो माह के अन्त में अन्तशेष निकाला जा रहा है तथा न ही प्रत्येक माह की अन्तशेष राशि का मिलान बैंक में जमा राशि से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही को पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस प्रथा बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म पर तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं करवाया गया था जिसके कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 **पंचायत राजस्व ₹0.98 लाख वसूली हेतु शेष :–**

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत राजस्व ₹98260 की वसूली शेष थीः–

गृहकर :–

क्र0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	अन्तशेष (₹)
1	2014–15	12840.00	12840.00	25680.00	शुन्य	25680.00
2	2015–16	25680.00	12840.00	38520.00	शुन्य	38520.00
3	2016–17	38520.00	12840.00	51360.00	शुन्य	**51360.00**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

दुकानों का किरायाः–

क्रम सं0	दुकानदार का नाम	वसूली योग्य राशि (₹)
1.	श्री अनिल कुमार	4500.00
2.	श्री ओम प्रकाश	6600.00
3.	श्री रामकृष्ण	3200.00
4.	श्री किशोरी लाल	400.00
5.	श्री शशिकान्त	3000.00
6.	श्री सुभाष चन्द	3200.00
7.	श्री परस राम	26000.00
	योग	**₹46900**
	कुल योग (गृहकर+दुकानों का किराया)	**₹98260**

अतःउपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि को प्राथमिकता के आधार पर वसूल करना सुनिश्चत किया जाए।

8 **अनुदान ₹26.89 लाख का अवरोधनः–**

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–1"** अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹2688790 उपयोग हेतु

शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न–भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये ।

9 **₹2.11 लाख की क्रय निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार इन्द्राज न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म–26 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3. 2017 तक के दौरान **परिशिष्ट "2"** पर वर्णित क्रय किये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को क्रय के उपरान्त भण्डार रजिस्टर पर दर्ज तो किया गया है, परन्तु इन्हें नियमों के अनुसार दर्ज नहीं किया गया था। भण्डार रजिस्टर में इनकी प्रविष्टि बिल द्वारा प्राप्त सामान के अनुसार न करके निर्माण कार्यों को जारी की गई सामग्री के आधार पर की गई थी। अतः नियमों के विरूद्ध उक्त नियम अनुसार ही स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

10 **औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.68 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** पर वर्णित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹67748 के रेत, बजरी व अन्य निर्माण सामग्री का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औरचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए। भविष्य में नियमानुसार सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अर्न्तगत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख–रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

क्रम सं0	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3	निर्माण कार्य रजिस्टर
4	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
5	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
6	विकास निष्पादन रजिस्टर
7	पेशगी रजिस्टर
8	वर्गीकृत सार

13 **लघु आपत्ति विवरणिका :–**यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

14 **निष्कर्ष :–**लेखों के रख–रखाब व नियमों की अनुपालना में सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)201/2018 खण्ड–1– 4849–4852 दिनांक 16.07.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत पधर, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881